अनुसूची-14 फारम : 562

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

आदेश-पत्रक ....नकुल मंडल........प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम्

........प्रसनजीत कुमार्र वगैरह........द्वितीय पक्ष

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0..से..तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या........51........सन् 2003

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
13.4.23	आवेदक नकुल मंडल पिता फूलचंद मंडल, साकिन-पचम्बा, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-बडकी सरिया, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0-200, प्लॉट नं0-117, रकवा-24 डी0, चौहद्दीः उ0-तेजो महतो, द0-रोड, पू0-सदाशिव राय, प0-बासुदेव पाण्डेय एवं 2. प्लॉट सं0-101, रकवा-12.5 डी0, चौहद्दीः उ0-अशोक विश्वकर्मा, द0-सीताराम कसेरा, पू0-रोड, प0-धान खेत में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक 27.4.23 को रखें। 13/4/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
26.04.23	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सरिया के ज्ञापांक सं0 493/23 दिनांक 21.04.23 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 11.5.23 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 11.5.23 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया	

22.6.23 उभय पक्ष वकालतन हाजिर।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के अनुरोध पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया तथा अंचल अधिकारी सरिया एवं थाना प्रभारी सरिया से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उन्हें सामान्य अधिकार पत्र दिनांक-31.12.21 के माध्यम से हासिल है तथा उक्त भूमि का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है, परन्तु द्वितीय पक्ष उनके

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दखल कब्जा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि वर्ष 1969 में निबंधित विक्रयपत्र के माध्यम से हासिल है तथा दखलकार हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल सामान्य अधिकार पत्र मान्य नहीं है। उक्त पक्षों के द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मात्र एक प्लाट सं० 117 अंकित है, परन्तु प्लाट 101 का उल्लेख नहीं है। विक्रय पत्र वर्ष 1969 में सम्पादित किया गया था तथा वह आज भी मान्य है। उसी सम्पत्ति का पुनः हस्तानान्तरण विक्रय-पत्र के क्रेता की सहमति के बिना होना उचित प्रतीत नहीं होता है। अंचल अधिकारी ने भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर चाहरदिवारी बना हुआ है	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	तथा वृक्ष लगा हुआ है। उक्त विवेचन के आलोक में नियम को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि अर्थात् 26.6.23 से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [illegible signature]	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.06.23 16:42:28 +05:30
Location: 192.168.1.9